फर्द अहकाम
कार्यालय जिला कलक्टर राजसमन्द, जिला राजसमन्द

श्री गोपाल कंसारा पिता उदयलाल जी निवासी देवगढ़ मदारिया, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

— अपीलांट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द

— रेस्पोण्डेंट

किस्म मुकदमा— अपील सूचना का अधिकार **पत्रावली संख्या 22/2019**

क्रमांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 24.06.2019 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी अनुपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अन्तर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द को वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय में भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर राजसमन्द के पत्रांक एफ.1( )सू0अ0,05/2019/282 से प्राप्त रिपोर्टानुसार प्रार्थी/अपीलान्ट का आवेदन पत्र दिनांक 09.02.2019 का सूचना का अधिकार अधिनियम,05 के तहत इस कार्यालय/अनुभाग को दिनांक 26.02.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त आवेदन पत्र से चाही गई वर्णित वांछित सूचना **प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग** की होने से इस अनुभाग के जरिये पत्रांक क्रमांक:प.1( )सू0अ0.05/2019/183 दिनांक 26.02.2019 को प्रेषित किया गया तथा प्रार्थी को भी सूचित किया गया। प्रार्थी/अपीलान्ट के आवेदन पत्र से चाही गई सूचना के संबंध में प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार सूचना इस अनुभाग को जरिये पत्रांक 965 दिनांक 23.03.2019 बिन्दु संख्या 01 व 02 की भिजवाई गई जिसे इस अनुभाग के जरिये पत्रांक प.1( )सू0अ0.05/2019/282 दिनांक 02.04.2019 से धारा 7(6) के तहत निःशुल्क प्रार्थी अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकि है। अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार प्रार्थी अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकि है फिर भी प्रार्थी अपीलार्थी चाही गई सूचना के संबंध में अनुभाग में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन बाद अपनी संतुष्टि उपरान्त यदि सूचना के संबंध में चाहे तो प्रतियाँ प्राप्त कर सकता हैं। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द की रिपोर्टानुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी राजस्व अनुभाग द्वारा अभिलेख पर उपलब्ध अनुसार बिन्दु संख्या 1 व 2 की सूचना जरिये पत्रांक 282 दिनांक 02.04.2019 से धारा 7(6) के तहत निशुल्क उपलब्ध कराई जा चुकी है फिर भी अपीलार्थी अनुभाग में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन बाद अपनी संतुष्टि उपरान्त यदि सूचना के संबंध में चाहे तो प्रतियाँ प्राप्त कर सकता है। इस संबंध मे प्रार्थी अपीलार्थी को जरिये डाक से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, राजसमन्द व अपीलार्थी को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नं0 से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमन्द

जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)